न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 49/2008

1. रामकल्याण पुत्र गणेश लाल महाजन (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मोहन लाल पुत्र रामकल्याण जाति महाजन ।
   1/2. सोहन लाल पुत्र रामकल्याण जाति महाजन निवासीगण बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।
2. अणदी लाल पुत्र भैरू लाल जाति मीना आयु 50 वर्ष निवासी महावीर नगर प्रथम मकान नम्बर 990 कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. अमन आत्मज राजेश पौत्र स्व0 अणदी लाल जाति मीणा नाबालिग जरिये संरक्षिका माता संजू पत्नी राजेश निवासी कोटा ।
   2/2. संजू आयु 40 साल बेवा राजेश जाति मीणा निवासी कोटा ।
   2/3. कृष्णा आयु 35 वर्ष
   2/4. कमलेश आयु 33 वर्ष पिसरान स्व0 अणदी लाल जाति मीणा निवासी कोटा ।
   2/5. रामजानकी बेवा अणदी लाल आयु 58 वर्ष जाति मीणा निवासी कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2008 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम लाडपुर तहसील बून्दी में खसरा नम्बर 630 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 659 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 660 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा स्थित है । उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 355 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा व 389 रकबा 08 बीघा

10 बिस्वा थे । उक्त भूमि चन्द्रा वल्द कालू मीणा था जिसने उक्त भूमियों को वादी के पिता श्री गणेश लाल जी वल्द गोविन्द लाल जी महाजन माहेश्वरी के संवत् 1952 व 1954 में रहन बिल कब्ज की थी जिसे लगभग 84 वर्ष हो चुके हैं । चन्द्रा जी लाऔलाद फौत हुए हैं उनके कोई वारिस नहीं था । वादी के पिता गणेश लाल ने अपने जीवनकाल में सम्पूर्ण सम्पत्ति का मालिक अपनी अंतिम वसीयत दिनांक 05.11.1976 के अनुसार वादी को बना दिया तब से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । राजस्व रिकॉर्ड में अभी भी उक्त भूमि चन्द्रा जी के खाते में अंकित है जो सर्वथा अवैध एवं अनुचित है । उक्त भूमियॉ सन् 1952 व 1954 के रहन के इन्द्राज के आधार पर अगर कोई स्वत्व चन्द्रा जी में शेष था तो वह भी रहन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् समाप्त हो गया । चन्द्रा जी को मरे लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं । वादी उक्त भूमियों का खातेदार काश्तकार बन गया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में से खातेदार के स्थान पर चन्द्रा वल्द कालू मीना निवासी डीकोली का नाम हटाया जाकर वादी का नाम अंकित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.05.2001 के द्वारा वादी का वाद धारा 42 बी का उल्लंघन मानते हुए खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 10.02.2006 के द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित आदेशों की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2008 के द्वारा धारा 42 बी का उल्लंघन मानते हुए वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.04.2008 के व्यथित होकर वादी अपीलान्ट के कायममुकामान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा महकमा बन्दोबस्त सन् 1934–35 में हुआ था एवं बून्दी स्टेट लैण्ड रेवेन्यू एक्ट सन् 1942 में लागू हुआ था उस समय यदि किसी व्यक्ति के कब्जे के बारे में किसी को आक्षेप था तो धारा 69 के तहत 12 माह के अन्दर वाद दायर करना आवश्यक था जो नहीं किया गया है । उक्त भूमि पर तब ही से अपीलान्ट के पूर्वजों का कब्जा स्पष्ट है । इस प्रकार कानून दीवानी राज बून्दी के समय रहन से छुडाने की मियाद 40 वर्ष थी जो समाप्त हो चुकी है और प्रतिवादी द्वारा अब अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त भूमि के सम्बन्ध में कानूनन वाद दायर नहीं किया जा सकता है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में खसरा गिरदावरी भी पेश की हैं जिन पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है । प्रतिवादी के विरूद्ध जो सीलिंग की कार्यवाही चली उसमें भी उन्होंने उक्त भूमि को अपीलान्ट के नाम रहन बताया है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वजों का रहन साबित है फिर भी रहन के लेख के अभाव में उसे साबित नहीं मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । यदि कोई खातेदार रहन से मुक्त कराने का दावा भूमि के सम्बन्ध में रहन के विरूद्ध नहीं करता है तो खातेदार के कानून के अनुसार दावा करने की अविध से समाप्त हो जाने के पश्चात् समस्त कानूनी अधिकार समाप्त हो जाते हैं । वादी अपीलान्ट उक्त भूमि के कानूनन खातेदार बन गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण

व प्रतिवादी अणदी लाल ने राजीनामा पेश किया था जिसे विधिवत न्यायालय में पेश किया था और पक्षकारान ने राजीनामा को सही मानते हुए न्यायालय से तस्दीक करवाया था । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पर्वू ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2008 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी कम 2 के दादा चन्द्रा वल्द कालू ने अपीलान्ट के पिता रामकल्याण पुत्र गणेश के पास संवत् 1952 से 1954 में रहन बिल कब्ज कर दी थी । 84 वर्षों से अपीलान्ट के पूर्वज और उनके देहान्त के बाद अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है । चन्द्राजी 03 पुत्र हुए और तीनों का प्रतिवादी अणदीलाल ही वारिस है । अपीलान्ट के पिता के पक्ष में गणेश के द्वारा वसीयत की गई थी और वसीयत के अनुसार अपीलान्ट दावा लाने का अधिकारी है और इस आराजी को अपने नाम दर्ज करने का अधिकारी है । भूमि को रहन से मुक्त कराने की मियाद समाप्त हो चुकी है । प्रतिवादी कम 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा प्रस्तत किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनाक 08.05.2001 के द्वारा निर्णय पारित किया गया है जिसकी अपील पेश होने पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः दिनांक 30.04.2008 से निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है । बून्दी स्टेट लैण्ड रेवेन्यू सन् 1942 में लागू हुआ था जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के कब्जे के बारे में किसी को आक्षेप हो तो धारा 69 के तहत 12 माह में दावा दायर करना आवश्यक था । कानूनन बून्दी राज के समय में भी रहन छुडाने की अवधि 40 वर्ष समाप्त हो चुकी है फिर भी दावा खारिज किया है । खसरा गिरदावरी की नकल सवंत् 2001 से 2006, 2008 से 2009 में अपीलान्ट के पूर्वजों का नाम अंकित है फिर भी अपीलान्ट का दावा खारिज किया है । रहन मुक्त की अवधि समाप्त हो जाने पर कानूनन वादी खातेदार हो चुके हैं । राजीनामा के बावजूद दावा खारिज किया है जो गैर कानूनी है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व ही अपीलान्ट खातेदार हो चुके हैं इसलिए धारा 42 बी के प्रावधान अपीलान्ट पर लागू नहीं होते हैं । तनकीयात पर विवेचन गलत रूप से किया है । राजस्व रिकॉर्ड में जो इन्द्राजात हैं उनको सही माना जाना चाहिए । राजीनामे के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट कोई भी कथन करने से एस्टोप्ड हैं । प्रकरण में 42 बी का उल्लंघन नहीं माना जा सकता । फ्रेगमेंट का कानून समाप्त हो चुका है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2008 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी1993 पेज 263, आरआरडी 1996 पेज 65, आरआरडी 1969 पेज 213, आरआरडी 1994 पेज 98, आरआरडी 1969 पेज 263, आरआरडी 1990 पेज 195 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट वादी सवर्ण जाति के हैं जबकि रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं । रहन की अवधि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समाप्त हो चुकी है । धारा 42 बी के उल्लंघन में अपीलान्ट को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि

सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2008 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2020 से 2023, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2018, नकल खसरा महकमा बन्दोबस्त संवत् 1991, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2035–38, असल वसीयत, रसीदात सिंचाई विभाग पेश की गई हैं ।

11. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही उनके पास आराजी रहन बिल कब्ज थी । रहन मुक्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है । इस कारण वो कानूनन वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हो चुके हैं । चूँकि रहन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का है इस कारण धारा 42 बी के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते हैं ।

12. पत्रावली पर जो नकल खसरा महकमा बन्दोबस्त संवत् 1991 पेश किया गया है उसमें गणेश लाल वल्द गोविन्द लाल को मूर्त बिल कब्ज दर्ज किया गया है । तद्नुसार धारा 43 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उसमें रहन की अवधि अंकित नहीं होने पर और उसके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पर्वू ही रहन होने की स्थिति में रहन के निष्पादित होने से 20 वर्ष में आराजी को रहन से मुक्त माना जावेगा । इस प्रकार धारा 43 (4) के अनुसार वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित होने का अधिकारी नहीं है और वैसे भी धारा 42 बी का उल्लंघन होने से वादी को खातेदारी अधिकार इस आराजी में प्रदान नहीं किये जा सकते । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2008 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Go
Parrt 1V

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 49/2008

1. रामकल्याण पुत्र गणेश लाल महाजन (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मोहन लाल पुत्र रामकल्याण जाति महाजन ।
   1/2. सोहन लाल पुत्र रामकल्याण जाति महाजन निवासीगण बून्दी तहसील व जि
   बून्दी ।

——अपील

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।
2. अणदी लाल पुत्र भैरू लाल जाति मीना आयु 50 वर्ष निवासी महावीर नगर प्रथम मक
   नम्बर 990 कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. अमन आत्मज राजेश पौत्र स्व0 अणदी लाल जाति मीणा नाबालिग जरिये संरक्षि
   माता संजू पत्नी राजेश निवासी कोटा ।
   2/2. संजू आयु 40 साल बेवा राजेश जाति मीणा निवासी कोटा ।
   2/3. कृष्णा आयु 35 वर्ष
   2/4. कमलेश आयु 33 वर्ष पिसरान स्व0 अणदी लाल जाति मीणा निवासी कोटा ।
   2/5. रामजानकी बेवा अणदी लाल आयु 58 वर्ष जाति मीणा निवासी कोटा ।

——प्रत्यथ

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2008 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्या: 73/दावा/2006

1. रामकल्याण पुत्र गणेश लाल महाजन (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रामकन्या बझ बेवा रामकल्याण ।
   1/2. मोहन लाल पुत्र रामकल्याण जाति महाजन ।
   1/3. सोहन लाल पुत्र रामकल्याण जाति महाजन निवासीगण बून्दी तहसील व जिल
   बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।
2. अणदी लाल पुत्र भैरू लाल जाति मीना आयु 50 वर्ष कर्मचारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आर्य समाज रोड, कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2008 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 17.05.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामदत्त शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2008 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 17.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

17/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा